माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1989-90

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

NIEPA DC
D08552

प्रकाशक :
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

LIBRARY & DOCUMENTATION UNIT
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-8552
Date 05-05-95

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1989-90 OF SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT

There is a proper arrangement for imparting Secondary Education in the State. During the year 1989-90, 1321 Middle, 2019 High and 247 Senior Secondary Schools (including 9 Navodaya Vidyalyas) were in existence in the State in which 470615, 1316165 and 246244 students respectively received education. During this period the percentage of total students reading in 6th, 7th and 8th classes in the age-group of 11–13 was 78.81 for boys and 49.47 for girls and the percentage of SC students was 65.82 for boys and 32.70 for girls. Similarly the percentage of students studying in 9th and 10th classes in the age-group of 14–15 was 53.89 for boys and 27.86 for girls and the percentage of SC students in these classes was 37.32 for boys and 11.10 for girls. The number of teachers teaching in Middle, High and Secondary Schools was 11815, 39352 and 7863 respectively.

During the period under report 160 Primary, 100 Middle and 31 Govt. High Schools were upgraded to middle, high and Senior Secondary Schools respectively.

In the year 1989–90, Rs. 12633.51 lakhs were spent on Secondary Education. The expenditure of Non-Govt. Schools to the extent of 75% of the deficit is met by the State Government in form of Maintenance grant. During this period an amount of Rs. 234.63 lakhs was given to Non-Government Schools in the form of grant.

Free Education is provided from 6th to 8th Classes in all Govt. Schools of the State. During

the year 1989-90 free stationery worth Rs. 33.18 lakhs was provided to 110200 students belonging to SC and weaker section and Rs. 26.50 lakhs were spent for providing free uniforms to Scheduled Caste Girls and Rs. 155.65 lakhs were arranged for giving scholarships at the rate of Rs. 15/- per month to Scheduled Castes students reading in 6th-8th classes.

During the year under report a sum of Rs. 5 lakhs was provided for giving special coaching to the SC students of 9th and 10th classes in the subjects of Mathematics, English and Science for three months.

During this period Rs. 274.65 lakhs were spent on various scholarships out of which Rs. 217.89 lakhs were spent on SC/BC students.

During the year 1989-90, 5095 Adult Education Centres were functioning in which 36930 men and 111885 women received literacy. There is a Shramik Vidyapeeth at Faridabad for providing literacy to cottage industrial/Semi Skilled Labourers.

During the reporting period Rs. 140 lakhs were spent on construction/repair of buildings of Govt. Schools. During this period 95 new Govt. school buildings were constructed,

In 1989-90, selected teams of the State won 48 Gold, 50 Silver and 55 Bronze medals in National Sports Competition. Assistance to the tune of Rs 817060/- was given from Teachers' Welfare Fund to teachers or their dependents in indigent circumstances.

An amount of Rs. 24.00 lakhs was spent on Book-Banks for providing free Text-Books to the

students of SC/Deprived Classes and Weaker Sections.

A State Council of Educational Research and Training has been set up for guidance of the Educational institutions, administrators connected with education and teachers through the activities of standardization of education, innovation, search study and training.

In the year 1989-90, an amount of Rs. 2.79 crore was received from Government of India for distribution amongst schools of district Rohtak, Faridabad, Hissar, Narnaul, Gurgaon and Jind for improving the Science education. This amount was distributed among these schools during the reporting period. Similarly, an amount of Rs. 16 lakhs was distributed among 200 Govt. Schools to encourage the Science Education.

During the reporting period "computer literacy programme was started in 6 schools. Computer literacy programme was already running in 52 schools.

During the reporting period, titles of 40 Text-Books of classes 1–8 were got printed and given to students. Under the syllabus revision project syllabus of classes 1–8 was got approved from the Govt. after revision. For preparing the Text-Books according to revised syllabus workshops were organised in SCERT, Gurgaon with the help of NCERT, New Delhi. Titles of 38 Text-Books were prepared on these workshops.

According to the rules of Defence Ministry of Government of India Cadets are given Military Training in the three wings of Navy, Military and

Air of Army under N.C.C. Project. During the year under report number of Junior Division Cadets was 16550.

During the year under report Smt. Sushma Swaraj held the charge of Education Minister, Smt. Kiran Aggarwal, I.A.S. of Education Commissioner and Sh. Sajjan Singh I.A.S./Sh. N.K. Jain, I.A.S. of Director of Secondary Education.

माध्यमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1989–90 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

राज्य में माध्यमिक शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था है। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में 1321 मिडल, 2019 उच्च तथा 247 वरिष्ठ माध्यमिक (जिनमें 9 नवोदय विद्यालय सम्मिलित हैं) विद्यालय चल रहे थे जिनमें क्रमशः 470615, 1316165 और 246244 विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की। इस अवधि में 11–13 आयु वर्ग के कक्षा 6–8 में पढ़ने वाले कुल छात्रों की प्रतिशतता 78.81 लड़के तथा 49.47 लड़कियां और अनुसूचित जातियों की छात्रों की प्रतिशतता 65.82 लड़के तथा 32.70 लड़कियां थी। इसी प्रकार 14–15 आयु वर्ग के नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले कुल छात्रों की प्रतिशतता 53.89 लड़के तथा 27.86 लड़कियां थी और अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिशतता 37.32 लड़के और 11.10 लड़कियां थी। रिपोर्टाधीन अवधि में मिडल, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या क्रमशः 11815, 39352 और 7863 थी।

रिपोर्टाधीन अवधि में 160 प्राथमिक, 100 मिडल तथा 31 राजकीय उच्च विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर क्रमशः मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया गया।

वर्ष 1989–90 में माध्यमिक शिक्षा पर 12633.51 लाख रुपये व्यय किये गये।

राज्य सरकार अराजकीय विद्यालयों के घाटे की 75% तक की प्रतिपूर्ति अनुरक्षण अनुदान के रूप में करती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को अनुदान के रूप में 234.63 लाख रुपये की राशि दी गई।

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अनुसूचित जाति तथा

कमजोर वर्ग के 110230 छात्र/छात्राओं को 33.18 लाख रुपये की मुफ्त लेखन सामग्री प्रदान की गई । माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को मुफ्त वर्दी देने के लिए 26.50 लाख रुपये खर्च किये। वर्ष 1989–90 में छठी से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाली अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं को 15/- रु० प्रति मास की दर से वजीफा देने हेतु 155.65 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

नौवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में तीन मास के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है । वर्ष 1989–90 में इसके लिए 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

रिपोर्टाधीन अवधि में 274.65 लाख रुपये विभिन्न छात्रवृत्तियों पर व्यय किये गये जिसमें से 217.89 लाख रुपये अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों के छात्रों पर व्यय किये गये ।

रिपोर्टाधीन अवधि में 5095 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत थे जिसमें 36930 पुरुष तथा 111885 महिलाओं ने साक्षरता ग्रहण की । फरीदाबाद में औद्योगिक/अर्धकुशल श्रमिकों को शिक्षा देना, रहन सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धंधा सीखने तथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देने के लिए श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना की हुई है ।

रिपोर्टाधीन अवधि में 140 लाख रुपये राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण/मुरम्मत पर व्यय किये गये। इस अवधि में 95 राजकीय विद्यालयों के नये भवन बनवाये गये ।

वर्ष 1989-90 में राज्य की चुनी हुई टीमों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में 153 पदक प्राप्त किये जिनमें 48 स्वर्ण, 50 रजत तथा 55 कांस्य पदक हैं ।

विपदाग्रस्त अध्यापकों अथवा उनके आश्रितों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण नीधि से 817060 रुपये की सहायता दी गई ।

अनुसूचित जातियों/वंचित वर्ग तथा निर्धन वर्ग के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें देने हेतु बुक बैंक पर 24.00 लाख रुपये की राशि खर्च की

गई। शिक्षा स्तर को समुन्नत करने सम्बन्धी क्रिया कलापों, नयी पद्धति, अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं के प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्ग दर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की हुई है।

वर्ष 1989–90 में विज्ञान शिक्षा के सुधार के लिए भारत सरकार की ओर से 2.79 करोड़ रुपये की राशि जिला रोहतक, फरीदाबाद, हिसार, नारनौल, गुड़गावां तथा जीन्द के विद्यालयों में वितरित करने हेतु प्राप्त हुई। यह राशि रिपोर्टाधीन अवधि में इन विद्यालयों में बांट दी गई। इसी प्रकार 200 राजकीय उच्च विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 16 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

रिपोर्टाधीन अवधि में 6 विद्यालयों में कम्प्यूटर लिटरेसी का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इससे पूर्व 52 विद्यालयों में कम्प्यूटर लिटरेसी पहले ही चल रही थी।

रिपोर्टाधीन अवधि में कक्षा 1–8 तक के 40 पाठ्य पुस्तकों के टाइटल्स तैयार करवाकर हरियाणा राज्य के छात्रों को उपलब्ध करवाये। पाठ्यक्रम संशोधन परियोजना के अन्तर्गत कक्षा 1–8 का पाठ्यक्रम संशोधनोपरान्त राज्य सरकार से अनुमोदित करवाया गया। संशोधित पयाठ्क्रम के आधार पर पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाने हेतु एन०सी०ई० आर० टी० नई दिल्ली की सहायता से एस० सी० इ० आर० टी० गुड़गावां में कर्मशालाऐं आयोजित करवाई गई। इन कर्मशालाओं में 38 पाठ्य पुस्तकों के टाइटल तैयार हुये।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये नियमों के अनुसार एन०सी०सी०परियोजना के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल थल और वायु सेवाओं का प्रशिक्षण राज्य में कैडिटों को दिया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि में जूनियर डिविजन के कैडिटस की संख्या 16550 थी।

रिपोर्टाधीन अवधि में श्रीमती सुषमा स्वराज शिक्षा मंत्री, श्रीमती किरण अग्रवाल आई०ए०एस० शिक्षायुक्त एवं श्री सज्जन सिह आई०ए०एस० तथा श्री एन० के जैन आई०ए०एस० ने निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा के रूप में कार्य किया।

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1989–90 में श्रीमति सुषमा स्वराज शिक्षा मंत्री रहीं। शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद पर श्रीमति किरण अग्रवाल, आई०ए०एस० तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्री एच०सी० दिसोदिया आई०ए०एस० ने कार्य किया।

निदेशालय स्तर पर

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा के पद पर 1.4.88 से 19.9.89 तक श्री सज्जन सिंह आई०ए०एस० तथा शेष अवधि में श्री एन०के० जैन आई०ए०एस० ने कार्य किया। निम्नलिखित पदों पर अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा को सहयोग दिया ;–

	पदों का नाम	अधिकारियों की संख्या
1.	निदेशक एस०आर०सी०	1
2.	संयुक्त निदेशक	2
3.	ओ० एस० डी०	1
4.	प्रशासन अधिकारी	1
5.	उप निदेशक	3
6.	सहायक निदेशक	6
7.	युवक एवं खेल अधिकारी	1
8.	लेखा अधिकारी	1
9.	बजट अधिकारी	1
10.	रजिस्ट्रार शिक्षा	1

जिला स्तर पर

राज्य में प्रत्येक जिले में विद्यालय शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा का विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्य रूप देते हैं। जिलों में शिक्षा विकास कार्य को भली भांति चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तर-दायी हैं।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक-एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक-एक विज्ञान परामर्श दाता तथा एक-एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल-कूद) भी नियुक्त है।

इसी प्रकार राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौढ़ शिक्षा एंव अनौपचारिक शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियंत्रक का उत्तरदायित्व जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों पर है। परियोजना अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं।

विद्यालय स्तर पर

सभी राजकीय मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम में चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी/विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्धक समितियां द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता

प्राप्त करते हैं । शिक्षा विभाग उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है । इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं ।

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1989–90 में माध्यमिक शिक्षा पर 12633.51 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । इसमें से योजनोत्तर पक्ष पर 10391.18 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 2242.33 लाख रुपये व्यय हुये ।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

राज्य सरकार अराजकीय विद्यालयों के घाटे की 75% तक की प्रतिपूर्ति अनुरक्षण अनुदान के रूप में करती है । रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 66.34 लाख रुपये की राशि दी गई । कोठारी अनुदान के अन्तर्गत इन विद्यालयों को 168.29 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई । इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अराजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों को डी० ए० की 10 किश्तों के भुगतान पर 110.86 लाख रुपये की राशि व्यय की गई ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भी कुछ अन्य संस्थाओं को अनुदान दिये गये जो निम्न अनुसार है :—

	संस्थाये	राशि लाख रुपय में
1.	साकेत मिडल विद्यालय चण्डी मन्दिर	1.47 लाख रुपये
2.	संस्कृत महाविद्यालय	4.47 लाख रुपये
3.	हरियाणा वैलफेयर सोसायटी फार हीयरिंग एंड स्पीच हैण्डीकैप्ड	4.11 लाख रुपये

अध्याय दूसरा

माध्यमिक शिक्षा

राज्य में माध्यमिक शिक्षा छठी से बारहवी कक्षा तक दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए राज्य में मिडल विद्यालय, उच्च विद्यालय तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है जिसका निम्न अनुसार वर्णन है :—

मिडल शिक्षा

राज्य में मिडल शिक्षा छठी से आठवी कक्षा तक दी जाती है। इसके लिए राज्य में अलग से मिडल विद्यालय है तथा इसके अतिरिक्त छठी से आठवी तक की कक्षाएं उच्च विद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी चलती है। वर्ष 1989–90 में 160 राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर मिडल किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में मिडल विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

मिडल विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	1046	176	1222
गैर–सरकारी	95	4	99

रिपोर्टाधीन अवधि में मिडल विद्यालयों तथा मिडल स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

(क) कुल छात्र संख्या	लडके	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	264188	206427	470615
स्तर अनुसार	439601	251214	690815
(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या			
विद्यालय अनुसार	51834	39869	91703
स्तर अनुसार	69753	31549	101302

रिपोर्टाधीन अवधि में 11–13 आयु वर्ग के पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता निम्न प्रकार रही :—

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्रों की प्रतिशतता	78.81	49.47	64.83
अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता	65.82	32.70	50.03

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मिडल विद्यालयों तथा मिडल स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	7167	4648	11815
स्तर अनुसार	13317	7538	20855
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	416	86	502
स्तर अनुसार	400	91	491

उच्च शिक्षा

राज्य में उच्च शिक्षा नौवीं और दसवीं कक्षा में दी जाती है। इसके लिए राज्य में उच्च विद्यालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त नौवीं और दसवीं की कक्षाएं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी चलती है। वर्ष 1989–90 में 100 मिडल विद्यालयों का स्तर बढ़ा कर उच्च किया गया जिसमें 25

लड़कियों के है । वर्ष 1989–90 में उच्च विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

उच्च विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	1453	241	1694
गैर–सरकारी	240	85	325

रिपोर्टाधीन अवधि में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	834316	481849	1316165
स्तर अनुसार	200265	92441	292706
(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	146246	70010	216256
स्तर अनुसार	26343	7000	33343

वर्ष 1989–90 में 14–15 आयु वर्ग के पढ़ने वाले छात्रों की प्रतिशतता निम्न प्रकार थी :—

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्रों की प्रतिशतता	53.89	27.86	41.61
अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता	37.31	11.10	24.95

वर्ष 1989–90 में उच्च विद्यालयों तथा उच्च स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	23715	15637	39352
स्तर अनुसार	9930	4709	14639
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	860	141	1001
स्तर अनुसार	188	28	216

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में दी जाती है। वर्ष 1989–90 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	158	26	184
गैर–सरकारी	57	6	63

रिपोर्टाधीन अवधि में 31 राजकीय उच्च विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया गया।

वर्ष 1989–90 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	171151	75093	246244
स्तर अनुसार	41750	15964	57714

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
विद्यालय अनुसार	20345	6100	26445
स्तर अनुसार	3858	546	4404

वर्ष 1989-90 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

(क) कुल अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	4332	3531	7863
स्तर अनुसार	1296	684	1980
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
विद्यालय अनुसार	83	13	96
स्तर अनुसार	32	4	36

छात्रों को प्रोत्साहन

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है। नौवीं से बारहवीं कक्षा तक लड़कियों की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी गई है। अनुसूचित जाति/कमजोर वर्ग के छात्रों/छात्राओं को छठी से आठवीं कक्षा तक 40/- रु० तथा नौवीं से बारहवीं कक्षा तक 60/-रु० प्रति छात्रा/छात्र को लेखन सामग्री क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं। इस पर 33.18 लाख रुपये खर्च किये गये तथा 110200 छात्रों को लाभ पहुंचाया गया। इस योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्ग की छात्राओं को भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 50/–रु० प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दी उपलब्ध कराई जाती है । इस पर वर्ष 1989–90 में 26.50 लाख रुपये खर्च किये गये । छठी से आठवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं को 15/-रु० प्रति मास की दर से वजीफा हेतु 155.65 लाख रुपये की व्यवस्था कराई गई ।

दोहरी पारी प्रणाली

राज्य के कुछ विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली भी चलती है । क्योंकि कई विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक हो जाती है । अतः उन विद्यालयों में एक पारी दोपहर से पहले पढ़ती है तथा दूसरी पारी दोपहर के बाद पढ़ती है ।

सहशिक्षा की नीति

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

तेलगू भाषा की शिक्षा

राज्य में तेलगू भाषा सातवीं और आठवी कक्षाओं में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । वर्ष 1989–90 में तेलगू भाषा 35 विद्यालयों में पढ़ाई गई । तेलगू भाषा पढ़ने वाले छात्रों को 10/–रु० प्रति मास की दर से छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1989–90 में 204 छात्रवृतियां दी गई तथा इन पर 18.5 हजार रुपये व्यय किये गये । इस भाषा को पढ़ाने वाले अध्यापकों को दो विशेष वेतन वृद्धियों के बराबर राशि भत्ते के रूप में दी जाती है ।

विशेष कोचिंग कक्षायें

नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास के लिए विशेष

कोचिंग दी जाती है. ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों के बराबर आ सके । वे कक्षाएं आरम्भ करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 10 या इससे अधिक छात्र संख्या होनी चाहिए । इसके लिए वर्ष 1989–90 में 5 लाख रुपये की व्यवक्था की गई ।

जवाहर नवोदय विद्यालय

इस समय राज्य में 9 जिलों में 9 जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहे है । नडियाली (अम्बाला), सिवाह (करनाल) और पिंगवा (गुड़गावां) में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया ।

परीक्षा परिणाम

रिपोर्टाधीन अवधि में मिडल, उच्च तथा 10+2 कक्षा की परिक्षाओं के परिणाम निम्न अनुसार रहे :—

नियमत	प्रवेश हुए छात्र	उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता
मिडल	180895	65.72
मैट्रिक	160763	81.45
जमादो	41006	48.54
निजी		
मिडल	47366	47.19
मैट्रिक	49014	66.60
जमादो	14644	37.08

अध्याय तीसरा

प्रौढ़ शिक्षा

लोक तांत्रिक पद्धति में निरक्षरता एक अभिशाप है । किसी भी स्वतन्त्र देश में कुछ व्यक्ति शिक्षा की सामान्य सुविधा से वंचित रहे यह नागरिकों के लिए बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण बात है । अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया जा चुका है कि निरक्षरता जैसी महामारी को अविलम्ब दूर किया जाना चाहिए ।

आजकल प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मात्र साक्षरता नहीं रहा है बल्कि जन साधारण अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाये, वे जो धंधा करते है उसे निपुणता से करें, उनमें सामाजिक जागरूकता पैदा हो, सामान्य नागरिकता की ये जानकारी प्राप्त करें तथा राष्ट्रीय प्रगति में सामान्य रूप से भागीदार बन सके। प्रौढ़ शिक्षा के लिए 15–35 वर्ष आयु वर्ग का चयन किया गया है । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में विशेष रूप से ग्रामीण महिलायें, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । इसलिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पिछड़े क्षेत्रों में और पिछड़े वर्ग के लिए खोलने पर जोर दिया जाता है ।

राज्य में वर्ष 1989–90 में 5095 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत थे जिनमें 1261 पुरुषों के लिए तथा 3834 महिलाओं के लिए थे । इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में वर्ष 1989–90 में साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

	पुरुष	महिला	जोड़
कुल संख्या	36930	111885	148815
अनुसूचित जातियों की संख्या	9254	27881	37135
ग्रामीण क्षेत्रों के प्रौढ़ों की संख्या	36300	100193	136493

स्वैच्छिक संस्थायें

राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थायें भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार अनुदान देती है। वर्ष 1989–90 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कार्यरत जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया गया वे संस्थायें तथा उन द्वारा चलाये गये केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	स्वैच्छिक संस्थायें	चालू केन्द्रों की संख्या
1.	जनता कल्याण समिति रिवाड़ी (म० गढ़)	300
2.	पी० एच० डी० ग्रामीण विकास संस्थान	30
3.	विद्या महा सभा कन्या गुरुकुल महा विद्यालय खरखोदा (सोनीपत)	300
4.	डी० ए० वी० ट्रेनिंग कालेज शिक्षा समिति मिशन रोड सोनीपत	100
5.	प्रेम सेवा समिति 172 एल० माडल टाउन रोहतक	30
6.	मेवात एजुकेशनल एवं सोशल ट्रस्ट विसरू (गुड़गावां)	30
7.	राम सेवा सदन कलानौर (रोहतक)	30
8.	लक्की एजुकेशन सोसाइटी महम (रोहतक)	30

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। वर्ष 1989–90 में महर्षि विश्वविद्यालय रोहतक तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के

लिए अनुदान दिया गया ।

राज्य संसाधन केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित साहित्यक सामग्री तैयार करने तथा उपलब्ध करने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र कार्यरत है । इसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

वर्ष 1981–82 में हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद की स्थापना की गई थी । इसका उद्देश्य औद्योगिक कुशल/अर्ध कुशल श्रमिकों को शिक्षा देना, रहन-सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धंधा सीखने तथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है ।

वर्ष 1989–90 की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में अनौपचरिक शिक्षा कार्यक्रम बन्द रहा ।

अध्याय चौथा

छात्रवृति तथा अन्य वित्तीय सहायता

सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की भिन्न-2 योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुये अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है।

योग्यता छात्रवृति योजना

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवीं कक्षा की परीक्षा के आधार पर 10/-रु प्रति मास की दर से योग्यता छात्रवृति दी जाती है। यह छात्रवृति छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दी जाती है। वर्ष 1989–90 में 9042 छात्रों की छात्रवृति दी गई तथा 10.85 लाख रुपये खर्च किये गये। वर्ष 1988–89 में भी इस छात्रवृति पर 10.85 लाख रुपये खर्च किये गये थे।

(ख) आठवीं की परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृति उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं में 15-/रु० मासिक प्रति छात्र की दर से दी जाती है। वर्ष 1989–90 में 4736 छात्र/छात्राओं को छात्रवृति दी गई तथा इस छात्रवृति पर 8.52 लाख रुपये खर्च किये गये। वर्ष 1988–89 में इस पर 8.52 लाख रुपये खर्च किये गये थे।

सैनिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृतियां :–

देश के विभिन्न सैनिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले 535 हरियाणवी छात्रों पर छात्रवृतियां एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 29.59 लाख रुपये व्यय किये गये । वर्ष 1988–89 में 560 छात्रों पर 30.60 लाख रुपये व्यय किये गये ।

पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता

राज्य में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं । निःशुल्क शिक्षा और छात्र-वृतियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है । इस योजना के अधीन नौवीं से बाहरवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को 20/–रु० प्रति छात्र प्रति मास की दर से छात्रवृति दी जाती है। वर्ष 1989–90 में इस योजना पर 88.70 लाख रुपये खर्च किये गये तथा 29297 छात्र/छात्राओं को लाभ पहुंचाया । वर्ष 1988–89 में इस योजना पर 65 लाख रुपये खर्च हुये तथा 19990 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया ।

अनुसूचित जाति की छात्र/छात्राओं को छात्रवृतियां तथा अन्यवित्तीय सहायता

राज्य में अनुसूचित जाति के सभी छात्र/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाऐ तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं । इस योजना के अधीन नौवीं से बाहरवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन जाति के विद्यार्थियों को 20/–रु० की दर से छात्रवृति दी गई । वर्ष 1989–90 में इस योजना पर 125.65 लाख रुपये की राशि व्यय की गई तथा 37750 छात्रों को लाभ पहुंचाया । वर्ष 1988–89 मे इस योजना पर 90 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 29820 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

तेलगू भाषा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृति

हरियाणा राज्य में तेलगू भाषा पढ़ रहे सातवीं तथा आठवीं कक्षा के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा तीन छात्रवृतियां प्रत्येक कक्षा के लिए 10/–रु० प्रति मास की दर से दी जाती है । वर्ष 1988–89 में 35 विद्यालयों में तेलगू पढ़ाई गई तथा कुल 204 छात्रवृतियां दी गई । इस योजना पर वर्ष 1989–90 में 10,500 रुपये खर्च हुये।

विमुक्त/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृति देना

विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृतियां देने के लिए अलग से एक विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है । इस योजना के अधीन पहली कक्षा से ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहे विमुक्त/टपरीवास जाति के बच्चों को छात्रवृति प्रदान की जाती हैं । यह छात्रवृति छठी से आठवीं कक्षा तक 15/– रु० मासिक दर से तथा नौवीं से बारहवीं कक्षा तक 16/– रुपये मासिक दर से दी जाती है । वर्ष 1989–90 में इस योजना पर 2.70 लाख रुपये खर्च हुये तथा 1800 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया । वर्ष 1988–89 में इस योजना पर 6.95 लाख रुपये खर्च हुये तथा 4770 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

अनुसूचित जाति की छात्राओं को योग्यता छात्रवृति योजना

इस योजना के अधीन प्रत्येक जिले में पांच छात्रवृतियां नौवीं कक्षा में दी जाती हैं । ये छात्रवृतियां मिडल स्तरीय परीक्षा के आधार पर दी जाती हैं तथा दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षाओं में भी जारी रहती हैं । ये छात्रवृतियां नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवी कक्षाओं में क्रमशः 80/–रु०, 100/–रु० 120/–रु० और 140/–रु० प्रति मास की दर से दी जाती है । वर्ष 1989–90 में इस योजना पर 3.54 लाख रुपये व्यय हुये तथा 180 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य छात्र/छात्राओं को माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृतियां

ग्रामीण क्षेत्रों में सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर की परीक्षा के आधार पर राज्य की ओर से 7 छात्रवृतियां प्रति विकास खण्ड की दर से

दी जाती है। ये छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले छात्रों में से जो छात्र छात्रावास में रहते हैं उन्हें 100/–रुपये प्रति मास तथा डे स्कोलरस को (जो छात्रवास में नहीं रहते) जो नौवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं उन्हें 30/-रु० प्रति मास और ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा में पढ़ने वालो को 60/–रु० प्रति मास की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है । वर्ष 1989–90 में इसके लिए 3.98 लाख रुपये की व्यवस्था प्रदान की गई। इतनी ही राशि की व्यवस्था वर्ष 1980–89 में की गई ।

अध्याय पांचवां

विविध

शिक्षक प्रशिक्षण

वर्ष 1989–90 में राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान लोहारू (भिवानी) ओढा (सिरसा) और मिठी सुरेश में डिप्लोमा इन एजुकेशन (जे०बी०टी०) प्रशिक्षण आरम्भ किया गया ।

वर्ष 1989–90 में 10000 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को एस० सी० ई० आर० टी० द्वारा आयोजित सेवा कालीन प्रशिक्षण दिलवाया गया ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक जिले में एक-एक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोली जानी थी। इन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अध्यापकों को सेवा से पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाना है । ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गुड़गावां खास तथा बीसवां मील सोनीपत में आरम्भ हो चुके हैं । ऐसी 6 संस्थान मोहड़ा (अम्बाला), बिरही कला (भिवानी), इक्कस (जीन्द), महेन्द्रगढ़ खास, मदीना (रोहतक) तथा डींग (सिरसा) में आरम्भ करने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त हो चुकी है । सरकार से उपकरण आदि की राशि प्राप्त होने पर इन्हें आरम्भ किया जा सकेगा ।

विद्यालय भवनों की देखभाल

वर्ष 1989–90 में 140 लाख रुपये की राशि योजना पक्ष पर विद्यालयों में भवनों के निर्माण/मुरम्मत के पिछले चल रहे कार्यों को पूर्ण करने हेतू प्रदान की गई । लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार 54 विद्यालय भवनों की मुरम्मत के कार्य वर्ष 1989–90 में पूरे हो चुके हैं । राजकीय

विद्यालय भवनों की मुरम्मत हेतू योजनेत्तर पक्ष पर एक करोड़ रुपये की राशि की बजट में व्यवस्था थी तथा इतनी ही राशि निदेशालय स्तर पर एकत्रित भवन निधि (pool money) से जुटाई गई । इस राशि के समकक्ष सरकार ने 165 विद्यालयों के भवनों की मुरम्मत/अतिरिक्त कमरों के निर्माण के अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

नये भवन निर्माण

सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखे गये प्रावधान के समकक्ष सरकार ने 95 राजकीय विद्यालय भवनों के (5 माध्यमिक, 31 उच्च, 25 मिडल और 34 प्राथमिक) निर्माण के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की थी जिसमें से वर्ष 1988–89 तक 63 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 15 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति में है ।

विद्यालय भवन निधि में संशोधन

वर्ष 1989–90 में भवन निधि नियमावली में संशोधन किया गया । भवन निधि नियमावली का संशोधन करवाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मुख्याध्यापकों को ऐसी शक्तियां प्रदान की जाये कि जिन का प्रयोग करते हुये वे अपने स्तर पर आवश्यकता अनुसार विद्यालय भवनों की मुरम्मत/निर्माण के कार्य करवा सके ताकि विद्यालय भवन आकर्षक बन सके । इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापक को 5000/–रु०, मिडल विद्यालयों के मुख्याध्यापकों को 8000/–रु० तथा उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापक/प्राचार्य को 10,000/–रु० तक की राशि विद्यालय भवन निधि नियमावली के अन्तर्गत गठित की गई कार्यकारिणी समिति की देख रेख में खर्च करने की क्षमता प्रदान की गई हैं । इसके अतिरिक्त अब भवन निधि की 70 प्रतिशत राशि विद्यालयों में एकत्रित होगी तथा शेष 30% राशि जिला स्तर पर एकत्रित की जायेगी ।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है । यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं । उच्च तथा

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है । विद्यालयों में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती है । तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के विषयों में शिक्षा दी जाती है । इसके अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 35 विद्यालयों में उपलब्ध है । सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषा में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं ।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा का अध्ययन करने की विशेष सुविधा उपलब्ध है । यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या विद्यालय में 40 से अधिक विद्यार्थी हो जो अल्प संख्यक से सम्बन्धित हों तो वे अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं । परन्तु पंजाबी तथा उर्दू के लिए विद्यार्थियों की यह संख्या किसी कक्षा के लिए 8 तथा किसी विद्यालय के लिए 30 है ।

विद्यालय क्रीड़ा

छात्र/छात्राओं को शिक्षा के साथ समुचित सामाजिकता एवं स्वास्थ्य नागरिकता का प्रशिक्षण देना और उनके शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाना तथा उन्हें चुस्त रहने के उद्देश्य से विद्यालयों में विभिन्न खेलों का कार्यक्रम संचालित किया जाता है । प्रति वर्ष राज्य स्तर पर विद्यालयों के लिए सभी खेल कूदों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य की चुनी हुई टीमों ने राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, राजनन्दगाव, बिनुमान्कड, हजारी बाग, बक्तसाल, शोलापुर और हैदराबाद में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया । इन प्रतियोगिताओं में हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने 153 पदक प्राप्त किये जिनमें 48 स्वर्ण, 50 रजत तथा 55 कांस्य पदक हैं । राज्य के उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को खेल के मैदान समतल कराने हेतु 4.92 लाख रुपये की राशि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदान की गई तथा 4.96 लाख रुपये का खेल का सामान खरीदकर विद्यालयों को भेजा गया ।

वर्ष 1989–90 में भारत स्काउटस एवं गाइडस संघ को विद्यार्थियों के

शिविर लगाने तथा संघ की अन्य गतिविधियों को चलाने के लिए 4.73 लाख रुपये का अनुदान दिया गया ।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण योजना के अन्तर्गत उन अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विपदा स्थिति में हों, आर्थिक सहायता दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डा चन्दा के रूप में राशि एकत्रित की जाती है । इस राशि में से प्रतिष्ठान मृतक अध्यापकों के दाह संस्कार, सेवा निवृत अध्यापकों को उनकी लड़कियों की शादी तथा उनके लम्बे समय की बीमारी पर भी सहायता देता है । कार्यरत अध्यापकों को उनकी बीमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी सहायता देता है । वर्ष 1989–90 में अध्यापक कल्याण कोष के लिए 537490/–रु० एकत्रित हुए तथा अध्यापकों के परिवारों को 817060/–रु० की राशि सहायता के रूप में वितरित की गई

बुक बैंक

राज्य में अनुसूचित जातियों/वंचित वर्ग तथा निर्धन बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु बुक बैंक की स्थापना की हुई है । वर्ष 1989–90 में सरकार ने उनके लिए पुस्तकें खरीदने हेतु 10 लाख रुपये योजनाधीन तथा 14.00 लाख रुपये योजनागत स्वीकृत किये ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

शिक्षा के स्तरोन्नत, विधिशोध, अन्वेषण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े प्रशासकों तथा अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु राज्य में एक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की हुई है । अपने जन्मकाल से ही यह परिषद अपनी विशिष्ट तथा विविध कार्यकलापों में संलग्न इकाइयों के माध्यम से राज्य के शैक्षिक वातावरण को समयानुसार करने हेतु यथा सामर्थ्य प्रयासरत है ।

विज्ञान प्रदर्शनी

बालकों में विज्ञान के प्रति रूचि उत्पन्न करने तथा विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उप मण्डल/जिला/राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का

आयोजन किया जाता है । वर्ष 1989–90 में भी इन स्तरों पर विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा इसके लिए 33,000/–रु० की राशि स्वीकृत की गई । वर्ष 1989–90 के दौरान भारत सरकार से विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए 2.79 करोड़ रुपये की राशि जिला रोहतक, फरीदाबाद, हिसार, नारनौल, गुड़गावां तथा जीन्द के विद्यालयों में वितरित करने हेतु प्राप्त हुई । यह राशि इन जिलों के विद्यालयों के लिए पुस्तकें तथा साईस का सामान खरीदने हेतु बांटी जा चुकी है । रिपोर्टाधीन अवधि में 200 राजकीय उच्च विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 16 लाख रुपये की राशि वितरित की गई ।

कम्प्यूटर लिटरेसी

वर्ष 1989–90 में 6 विद्यालयों में कम्प्यूटर लिटरेसी का कार्यक्रम आरम्भ किया गया । इससे पूर्व 52 विद्यालयों में कम्प्यूटर लिटेरसी पहले ही चल रही थी । जो विद्यालय कम्प्यूटर लिटरेसी के अधीन आते हैं उनमें तीन–तीन प्राध्यापकों को लिटरेसी का प्रशिक्षण दिलवाया जाता है और इस परियोजना की सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है ।

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है । यह विषय राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ाया जाता है । इसे नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है । विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस विषय को दसवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना दिया है ।

पाठ्य पुस्तक अनुभाग

सदैव की भांति इस वर्ष भी निदेशालय के पाठ्य पुस्तक कक्ष ने शिक्षा का सार्विकीकरण करने के उद्देश्य से कक्षा 1–8 तक के 40 पाठ्य पुस्तकों के टाइटल तैयार करवा कर हरियाणा राज्य के छात्रों को उपलब्ध करवाएं । मुद्रण पूर्व पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु का अधतन एवं संशोधन किया गया और उनकी मुद्रण संख्या बारे, आगामी वर्ष की छात्र संख्या, गत वर्ष की पुस्तकों की औसत बिक्री और बची हुई पुस्तकों की स्टाक स्थिति की तरफ विशेष ध्यान दिया गया ।

वर्ष 1989–90 में पाठ्यक्रम संशोधन परियोजना के अन्तर्गत कक्षा 1–8 का पाठ्य क्रम संशोधन उपरान्त राज्य सरकार से अनुमोदित करवाया गया था । इस संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाने हेतु एन०सी०ई०आर०टी० नई दिल्ली से वित्तीय सहायता प्राप्त करके, एस०सी०ई०आर०टी० गुड़गावां में कर्मशालाएं आयोजित करवाई गई । इन कर्मशालाओं में 38 (पाठ्य पुस्तकों के टाइटल तैयार हुऐ जिनमें प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए 12 टाइटलज एवं तीन अध्यापक संदर्शिकाएं तथा माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए 23 टाइटलज तैयार करवाऐ गए । इन टाइटल्ज को तैयार करवाने में अनुभाग और एस०सी०ई०आर०टी० गुड़गावां के विषय विशेषज्ञों द्वारा सामूहिक प्रयास करते हुए एन०सी०इ्आर०टी० दिल्ली तथा हरियाणा राज्य के विद्यालयों के शिक्षाविदों एवं अनुभवी अध्यापकों से भी योगदान लिया गया । पुस्तकों की विषय वस्तु में राष्ट्रीय महत्व के 10 अनिवार्य तत्वों को मुख्य स्थान देते हुए छात्रों में नई चेतना जागृत करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया ।

अल्प संख्यक छात्रों के लिए उर्दू भाषा में अच्छी पुस्तकें सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रयत्न किए गए, इसके अन्तर्गत उर्दू 8 की पाठ्य पुस्तक के मुद्रणार्थ सरकार से 20,000/–रु० सबसीडी राशि की व्यवस्था करवा कर छात्रों को यह पुस्तक सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करवाई गई ।

इस वर्ष में अनुभाग ने राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर के विद्यालयों में पाठन कार्य में समता बताए रखने के उद्देश्य से मासवार पाठ्यक्रम बांट की पुस्तिकाएं मुद्रित करवाकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से राज्य के सभी स्कूलों में मार्ग दर्शनार्थ वितरित करवाई ।

यह अनुभाग शिक्षा के सार्विकीकरण एवं सस्ते मूल्यों पर अच्छी पाठ्य पुस्तकें उपयब्ध करवाने के लिए प्रयत्नशील है । इस वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा इस अनुभाग में तीन अन्य विषय विशेषज्ञों के पदों की वृद्धि करते हुए इसे और अधिक सुदृढ़ बना दिया गया ।

एन०सी०सी०

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये नियमों के अनुसार एन०सी०सी० परियोजना के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण राज्य में केडिटस को दिया जाता है। छात्र अपनी स्वेच्छा से एन०सी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अनिवार्य रूप से नहीं। इस प्रशिक्षण को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिल कर करती हैं। विद्यालयों के छात्रों के लिए स्थापित जूनियर डिविजन है। एन०सी०सी० के कैडिटों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

	कैडिट स्वीकृत संख्या
1. इन्फैंटरी बटालियन (लड़कों के लिए)	13750
2. इन्फैंटरी बटालियन (लड़कियों के लिए	1000
3. जल विंग	450
4. वायु विंग	1350

जूनियर डिविजन एन०सी०सी० अधिकारियों के लिए 500/रु० की दर से (आउटफिट अलाउंस) वर्दी भत्ता स्वीकृत किया गया है। इस वर्ष सोनीपत में जूनियर डिविजन के वायु विंग का एक टरुप खोला गया है।

NIEPA DC
D08552

24923—D.P.I.—H.G.P., Chd.

LIBRARY & DOCUMENTATION
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-8552
DOC, No ..... 05-05-95.
Date .....